<u>अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन</u>
(प्रशासन अनुभाग)
<u>अ.अ.मा.सं. कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य रेलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अ.अ.मा.सं. से सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु</u>

कार्यकारी निदेशक/प्रशासन–।।
अ.अ.मा.सं., लखनऊ

विषयः राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल की बुकिंग हेतु प्रार्थना।

मेरा अनुरोध है कि अअमासं का राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल निर्धारित भुगतान पर .... (समारोहों का विवरण) हेतु ....दिन/दिनों के लिए तारीख..................... के 11:00 बजे से तारीख..........................के 11:00 बजे तक के लिए बुक कर दिया जाये।

1.	समारोह का नाम		
2.	व्यक्ति का नाम एवं आयु जिसका समारोह मनाया जा रहा है		
3.	सम्बन्ध		(प्रमाणपत्र संलग्न हैं)

<u>राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल के आवंटन हेतु शर्तें</u>

(क) समारोह के लिए भोजन बनाने के कार्य केवल निर्दिष्ट स्थान पर किया जायेगा।
(ख) साउन्ड बॉक्स अथवा लाउडस्पीकर केवल हॉल के अन्दर लगाया जा सकता है। हॉल के बाहर इनका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
(ग) किसी प्रकार का मद्यपान नहीं किया जायेगा। आवंटी इस प्रतिबन्ध का सख्ती से अनुपालन करेंगे।
(घ) आवंटी को परिसर को साफ–सुथरा रखने पर ध्यान देना होगा।
(ङ) खम्भे गाड़ने के लिए खोदे गये छिद्रों को ठीक प्रकार से बन्द कर दिया जायेगा ताकि परिसर क्षेत्र मूल रूप में छोड़ा जा सके। पक्के फर्श पर किसी प्रकार के गड्ढे नहीं किये जायेंगे।
(च) आवंटी को मुंडेरों की सजावट की अनुमति नहीं है तथा किसी को भी छत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(छ) बैंड–बाजों/पटाखों से जनित ध्वनि–प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवंटी जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा एवं इन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।
(ज) **<u>राजधानी हाल/नया राजधानी हाल आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं, अतः बैंड–बाजों का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित है।</u>**
(झ) **<u>रात्रि 10:00 के बाद कॉलोनी में बारात घुमाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।</u>**
(ञ) आग्नेयास्त्र का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
(ट) आवंटी सुनिश्चित करेंगे कि :–

- समारोह किसी राजनैतिक पार्टी अथवा राजनीतिक गतिविधि से संबंधित नहीं है।
- समारोह के आयोजन से किसी व्यक्ति की भावनाओं को किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय का होने के कारण चोट नहीं पहुँचती है।
- समारोह भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विपरीत तो नहीं है।

<u>घोषणा</u>

मैं राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल के आवंटन संबंधी नियमों और शर्तों से पूरी तरह परिचित हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल को बुक करने हेतु उपरोक्त शर्तो के साथ अन्य निर्धारित सभी नियमों का पालन करुँगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल का प्रयोग बुक किये गये उद्देश्य हेतु ही किया जायेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शर्तों तथा निर्धारित नियमों का उल्लंघन होने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा यदि इस हेतु प्रशासन कोई शुल्क/जमानत राशि मुझसे लेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

घोषणा पत्र

मैं राजधानी हाल/नया राजधानी हाल को खाली करते समय राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की पर्याप्त साफ–सफाई करवाकर दूँगा। पर्याप्त साफ–सफाई ना करवाने की स्थिति में मेरे वेतन से दण्डस्वरुप सफाई प्रभार के रूप में राशि रु.8000/– सिक्योरिटी मनी से कटौती कर ली जाये। डीजे बजाने हेतु प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ/आरडीएसओ से अनुमति लूँगा। रात को 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच डीजे या बारात कॉलोनी में घुमाना या बैण्डबाजा, साउंडबॉक्स अथवा लाउडस्पीकर तथा पटाखे, आग्नेय अस्त्र चलाये जाते पाये जाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमानत राशि में से कटौती कराने के लिए भी सहमत हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर मेरे खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम :...
कार्यालय का नामः.......................................

हस्ताक्षर................................
नियंत्रक अधिकारी/रेलवे

आवासीय पताः...
फोन नं...

<u>घोषणा</u>
(अ.अ.मा.सं. के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी से)

मैं आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल की बुकिंग की अवधि के दौरान यदि किसी प्रकार की क्षति/नुकसान होता है तो मैं आवेदक की ओर से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।

हस्ताक्षर
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी का नाम एवं पदनामः...
निदेशालय/अनुभागः.................................फोन नं एवं मोबाइल नं...

नोटः 1. यदि यह साबित हो जाता है कि राजधानी हाल/नया राजधानी हाल का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है तो समुचित रकम की वसूली की जायेगी।
2. आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु बुकिंग तारीख से 20 दिन पहले निमंत्रण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
3. राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल/बारातघर की बुकिंग हेतु निर्धारित किराया, जमानत राशि एवं निर्धारित विद्युत प्रभार को जमा करने के लिए वेबसाइट **rdso.indianrailways.gov.in** पर **e-payment to rdso** कॉलम के अन्तर्गत जाकर **make payment** के माध्यम से **SB collect** का प्रयोग करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा किया जाना चाहिए।

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन
(प्रशासन अनुभाग)

अअमासं कर्मचारियों के प्रयोग हेतु

कार्यकारी निदेशक/प्रशासन–II
अ.अ.मा.सं., लखनऊ

विषयः राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल की बुकिंग हेतु प्रार्थना।

मेरा अनुरोध है कि अअमासं का राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल निर्धारित भुगतान पर .... (समारोहों का विवरण) हेतु ....दिन/दिनों के लिए तारीख...................... के 11:00 बजे से तारीख...........................के 11:00 बजे तक के लिए बुक कर दिया जाये।

1.	समारोह का नाम		
2.	व्यक्ति का नाम एवं आयु, जिसका समारोह मनाया जा रहा है		
3.	सम्बन्ध		(प्रमाणपत्र संलग्न हैं)

राजधानी हाल/नया राजधानी हाल के आवंटन हेतु शर्तें

(क) समारोह के लिए भोजन बनाने के कार्य केवल निर्दिष्ट स्थान पर किया जायेगा।
(ख) साउन्ड बॉक्स अथवा लाउडस्पीकर केवल हॉल के अन्दर लगाया जा सकता है। हॉल के बाहर इनका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
(ग) किसी प्रकार का मद्यपान नहीं किया जायेगा। आवंटी इस प्रतिबन्ध का सख्ती से अनुपालन करेंगे।
(घ) आवंटी को परिसर को साफ–सुथरा रखने पर ध्यान देना होगा।
(ड) खम्भे गाड़ने के लिए खोदे गये छिद्रों को ठीक प्रकार से बन्द कर दिया जायेगा ताकि परिसर क्षेत्र मूल रूप में छोड़ा जा सके। पक्के फर्श पर किसी प्रकार के गड्ढे नहीं किये जायेंगे।
(च) आवंटी को मुंडेरों की सजावट की अनुमति नहीं है तथा किसी को भी छत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(छ) बैंड–बाजों/पटाखों से जनित ध्वनि–प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवंटी जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा एवं इन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।
(ज) **राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं, अतः बैंड–बाजों का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित है।**
(झ) **रात्रि 10:00 के बाद कॉलोनी में बारात घुमाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।**
(ञ) आग्नेयास्त्र का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
(ट) आवंटी सुनिश्चित करेंगे कि :–

- समारोह किसी राजनैतिक पार्टी अथवा राजनीतिक गतिविधि से संबंधित नहीं है।
- समारोह के आयोजन से किसी व्यक्ति की भावनाओं को किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय का होने के कारण चोट नहीं पहुँचती है।
- समारोह भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विपरीत तो नहीं है।

घोषणा

मैं राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल के आवंटन संबंधी नियमों और शर्तों से पूरी तरह परिचित हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल को बुक करने हेतु उपरोक्त शर्तों के साथ अन्य निर्धारित सभी नियमों का पालन करुंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल का प्रयोग बुक किये गये उद्देश्य हेतु ही किया जायेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शर्तों तथा निर्धारित नियमों का उल्लंघन होने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा यदि इस हेतु प्रशासन कोई शुल्क/जमानत राशि मुझसे लेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ तथा किराये, बिजली एवं क्षतिपूर्ति प्रभार, यदि कोई है, की कटौती अपने वेतन से करने के लिए सहायक कार्मिक अधिकारी/बिल्स को प्राधिकृत करता हूँ।

घोषणा पत्र

"मैं यह घोषणा करता हूँ कि यदि राजधानी हाल/नया राजधानी हाल के उपयोग के दौरान रेल संपत्ति/रेल प्रशासन को हानि होती है/शिकायत प्राप्त होती है/निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो आरडीएसओ प्रशासन द्वारा मेरे वेतन से समुचित कटौती करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।" मैं राजधानी हाल/नया राजधानी हाल को खाली करते समय राजधानी हाल/नया राजधानी हाल की पर्याप्त साफ–सफाई करवाकर दूँगा। पर्याप्त साफ–सफाई ना करवाने की स्थिति में मेरे वेतन से दण्डस्वरुप सफाई प्रभार के रूप में राशि रु. 8000/– कटौती कर ली जाये। डीजे बजाने हेतु प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ/आरडीएसओ से अनुमति लूँगा। रात को 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच डीजे या बारात कॉलोनी में घुमाना या बैण्डबाजा, साउंडबॉक्स अथवा लाउडस्पीकर तथा पटाखे, आग्नेय अस्त्र चलाये जाते पाये जाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क अपने वेतन में से कटौती कराने के लिए भी सहमत हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर मेरे खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम एवं पदनामः...
ए.यू./बी.यू./पी.एफ.सं.......................................
अनुभागः..
फोन नं..

अग्रसारित.................................
नियंत्रक अधिकारी – कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी।

नोटः 1. यदि यह साबित हो जाता है कि राजधानी हाल/नया राजधानी हाल का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है तो समुचित रकम की वसूली की जायेगी।
2. आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु बुकिंग तारीख से 20 दिन पहले निमंत्रण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
3. राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल/बारातघर की बुकिंग हेतु निर्धारित किराया, जमानत राशि एवं निर्धारित विद्युत प्रभार को जमा करने के लिए वेबसाइट **rdso.indianrailways.gov.in** पर **e-payment to rdso** कॉलम के अन्तर्गत जाकर **make payment** के माध्यम से **SB collect** का प्रयोग करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा किया जाना चाहिए।

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन
(प्रशासन अनुभाग)

अअमासं कर्मचारियों के प्रयोग हेतु

कार्यकारी निदेशक/प्रशासन–।।
अ.अ.मा.सं., लखनऊ

विषयः बारातघर की बुकिंग हेतु प्रार्थना।

मेरा अनुरोध है कि अ.अ.मा.सं. का बारातघर निर्धारित भुगतान पर समारोहों का विवरण ....हेतु ....दिन/दिनों के लिए तारीख..................... के 08:00 बजे से तारीख...........................के 08:00 बजे तक के लिए बुक कर दिया जाये।

1.	समारोह का नाम		
2.	व्यक्ति का नाम एवं आयु, जिसका समारोह मनाया जा रहा है		
3.	सम्बन्ध		(प्रमाणपत्र संलग्न हैं)

राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल/बारातघर के आवंटन हेतु शर्ते

(क) समारोह के लिए भोजन बनाने के कार्य केवल निर्दिष्ट स्थान पर किया जायेगा।
(ख) साउन्ड बॉक्स अथवा लाउडस्पीकर केवल हॉल के अन्दर लगाया जा सकता है। हॉल के बाहर इनका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
(ग) किसी प्रकार का मद्यपान नहीं किया जायेगा। आवंटी इस प्रतिबन्ध का सख्ती से अनुपालन करेंगे।
(घ) आवंटी को परिसर को साफ–सुथरा रखने पर ध्यान देना होगा।
(ङ) खम्भे गाड़ने के लिए खोदे गये छिद्रों को ठीक प्रकार से बन्द कर दिया जायेगा ताकि परिसर क्षेत्र मूल रूप में छोड़ा जा सके। पक्के फर्श पर किसी प्रकार के गड्ढे नहीं किये जायेंगे।
(च) आवंटी को मुंडेरों की सजावट की अनुमति नहीं है तथा किसी को भी छत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(छ) बैंड–बाजों/पटाखों से जनित ध्वनि–प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवंटी जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा एवं इन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।
(ज) राजधानी हाल/नया राजधानी हाल/बारातघर आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं, अतः बैंड–बाजों का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
(झ) रात्रि 10:00 के बाद कॉलोनी में बारात घुमाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
(ञ) आग्नेयास्त्र का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
(ट) आवंटी सुनिश्चित करेंगे कि :–

- समारोह किसी राजनैतिक पार्टी अथवा राजनीतिक गतिविधि से संबंधित नहीं है।
- समारोह के आयोजन से किसी व्यक्ति की भावनाओं को किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय का होने के कारण चोट नहीं पहुँचती है।
- समारोह भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विपरीत तो नहीं है।

घोषणा

मैं बारातघर के आवंटन संबंधी नियमों और शर्तों से पूरी तरह परिचित हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि बारातघर को बुक करने हेतु उपरोक्त शर्तों के साथ अन्य निर्धारित सभी नियमों का पालन करुँगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि बारातघर का प्रयोग बुक किये गये उद्देश्य हेतु ही किया जायेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शर्तों तथा निर्धारित नियमों का उल्लंघन होने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा यदि इस हेतु प्रशासन कोई शुल्क/जमानत राशि मुझसे लेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

घोषणा पत्र

''मैं यह घोषणा करता हूँ कि यदि राजधानी हाल/नया राजधानी हाल के उपयोग के दौरान रेल संपत्ति/रेल प्रशासन को हानि होती है/शिकायत प्राप्त होती है/निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होता है तो आरडीएसओ प्रशासन द्वारा मेरे वेतन से समुचित कटौती करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।'' मैं बारातघर को खाली करते समय बारातघर की पर्याप्त साफ–सफाई करवाकर दूँगा। पर्याप्त साफ–सफाई ना करवाने की स्थिति में मेरे वेतन से दण्डस्वरुप सफाई प्रभार के रूप में राशि रु.8000/– सिक्योरिटी मनी से कटौती कर ली जाये। डीजे बजाने हेतु प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ/आरडीएसओ से अनुमति लूँगा। रात को 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच डीजे या बारात कॉलोनी में घुमाना या बैण्डबाजा, साउंडबॉक्स अथवा लाउडस्पीकर तथा पटाखे, आग्नेय अस्त्र चलाये जाते पाये जाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमानत राशि में से कटौती कराने के लिए भी सहमत हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर मेरे खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम एवं पदनामः..
ए.यू./बी.यू./पी.एफ.सं...
अनुभागः...
फोन नं एवं मोबाइल नं...

अग्रसारित...............................
नियंत्रक अधिकारी

नोटः 1. यदि यह साबित हो जाता है कि बारातघर का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है तो समुचित रकम की वसूली की जायेगी।
2. आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु बुकिंग तारीख से 20 दिन पहले निमंत्रण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
3. राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल/बारातघर की बुकिंग हेतु निर्धारित किराया, जमानत राशि एवं निर्धारित विद्युत प्रभार को जमा करने के लिए वेबसाइट **rdso.indianrailways.gov.in** पर **e-payment to rdso** कॉलम के अन्तर्गत जाकर **make payment** के माध्यम से **SB collect** का प्रयोग करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा किया जाना चाहिए।

<u>अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन</u>
(प्रशासन अनुभाग)

बाहरी व्यक्तियों के प्रयोग हेतु
अ.अ.मा.सं. कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य रेलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अ.अ.मा.सं. से सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु

कार्यकारी निदेशक/प्रशासन–।।
अ.अ.मा.सं., लखनऊ

विषयः बारातघर की बुकिंग हेतु प्रार्थना।

मेरा अनुरोध है कि अ.अ.मा.सं. का बारातघर निर्धारित भुगतान पर .... (समारोहों का विवरण) हेतु ....दिन/दिनों के लिए तारीख.................... के 08:00 बजे से तारीख..........................के 08:00 बजे तक के लिए बुक कर दिया जाये।

1.	समारोह का नाम		
2.	व्यक्ति का नाम एवं आयु जिसका समारोह मनाया जा रहा है		
3.	सम्बन्ध		(प्रमाणपत्र संलग्न हैं)

राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल/बारातघर के आवंटन हेतु शर्तें

(क) समारोह के लिए भोजन बनाने के कार्य केवल निर्दिष्ट स्थान पर किया जायेगा।
(ख) साउन्ड बॉक्स अथवा लाउडस्पीकर केवल हॉल के अन्दर लगाया जा सकता है। हॉल के बाहर इनका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
(ग) किसी प्रकार का मद्यपान नहीं किया जायेगा। आवंटी इस प्रतिबन्ध का सख्ती से अनुपालन करेंगे।
(घ) आवंटी को परिसर को साफ–सुथरा रखने पर ध्यान देना होगा।
(ङ) खम्भे गाड़ने के लिए खोदे गये छिद्रों को ठीक प्रकार से बन्द कर दिया जायेगा ताकि परिसर क्षेत्र मूल रूप में छोड़ा जा सके। पक्के फर्श पर किसी प्रकार के गड्ढे नहीं किये जायेंगे।
(च) आवंटी को मुंडेरों की सजावट की अनुमति नहीं है तथा किसी को भी छत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(छ) बैंड–बाजों/पटाखों से जनित ध्वनि–प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवंटी जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा एवं इन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।
(ज) राजधानी हाल/नया राजधानी हाल/बारातघर आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं, अतः बैंड–बाजों का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
(झ) रात्रि 10:00 के बाद कॉलोनी में बारात घुमाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
(ञ) आग्नेयास्त्र का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
(ट) आवंटी सुनिश्चित करेंगे कि :–

- समारोह किसी राजनैतिक पार्टी अथवा राजनीतिक गतिविधि से संबंधित नहीं है।
- समारोह के आयोजन से किसी व्यक्ति की भावनाओं को किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय का होने के कारण चोट नहीं पहुँचती है।
- समारोह भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विपरीत तो नहीं है।

घोषणा

मैं बारातघर के आवंटन संबंधी नियमों और शर्तों से पूरी तरह परिचित हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि बारातघर को बुक करने हेतु उपरोक्त शर्तों के साथ अन्य निर्धारित सभी नियमों का पालन करुँगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि बारातघर का प्रयोग बुक किये गये उद्देश्य हेतु ही किया जायेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शर्तों तथा निर्धारित नियमों का उल्लंघन होने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा यदि इस हेतु प्रशासन कोई शुल्क/जमानत राशि मुझसे लेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

घोषणा पत्र

मैं बारातघर को खाली करते समय बारातघर की पर्याप्त साफ–सफाई करवाकर दूँगा। पर्याप्त साफ–सफाई ना करवाने की स्थिति में दण्डस्वरुप सफाई प्रभार के रूप में राशि रु.8000/– सिक्योरिटी मनी से कटौती कर ली जाये। डीजे बजाने हेतु प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ/आरडीएसओ से अनुमति लूँगा। रात को 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच डीजे या बारात कॉलोनी में घुमाना या बैण्डबाजा, साउंडबॉक्स अथवा लाउडस्पीकर तथा पटाखे, आग्नेय अस्त्र चलाये जाते पाये जाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमानत राशि में से कटौती कराने के लिए भी सहमत हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर मेरे खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम :...
कार्यालय का नामः...
आवासीय पताः...
फोन नं. एवं मोबाइल नं ....

हस्ताक्षर................................
नियंत्रक अधिकारी/रेलवे

घोषणा
(अ.अ.मा.सं. के राजपत्रित अधिकारी से)

मैं आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ एवं घोषणा करता हूँ कि बारातघर की बुकिंग की अवधि के दौरान यदि किसी प्रकार की क्षति/नुकसान होता है तो मैं आवेदक की ओर से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम एवं पदनामः...
निदेशालय/अनुभागः...
फोन नं. एवं मोबाइल नं.......................................

नोटः 1. यदि यह साबित हो जाता है कि राजधानी हाल/नया राजधानी हाल का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है तो समुचित रकम की वसूली की जायेगी।
2. आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु बुकिंग तारीख से 20 दिन पहले निमंत्रण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
3. राजधानी हॉल/नया राजधानी हॉल/बारातघर की बुकिंग हेतु निर्धारित किराया, जमानत राशि एवं निर्धारित विद्युत प्रभार को जमा करने के लिए वेबसाइट **rdso.indianrailways.gov.in** पर **e-payment to rdso** कॉलम के अन्तर्गत जाकर **make payment** के माध्यम से **SB collect** का प्रयोग करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा किया जाना चाहिए।

एफिडेविट का प्रोफार्मा

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु घोषणा पत्र

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित नियम/दिशा–निर्देश/शर्तों का पालन करुंगाः–

1. भारत सरकार के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम–2000 के अनुसार दिन के समय (प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के दौरान) अत्यधिक आवाज तथा रात्रि के समय (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के दौरान) ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम या अन्य किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण निषिद्ध है। ऐसे नियमों का अनुपालन न करने वाला व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 के तहत 05 वर्ष की अवधि के लिए कारावास के साथ रुपए एक लाख के जुर्माने का भागी होगा।
2. दिन के समय (प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के दौरान) भी ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम की ध्वनि का स्तर 55 डेसीबल से कम रहना चाहिए।
3. राजधानी हाल/नया राजधानी हाल परिसर आवासीय कॉलोनी एवं रेलवे अस्पताल तथा स्कूल इत्यादि इस क्षेत्र में होने के कारण बैंड–बाजों का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित है। रात्रि 10:00 बजे के बाद कॉलोनी में बारात घुमाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
4. ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम के प्रयोग करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा दी गयी स्वीकृति एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम लगाने वाली एजेंसी का नाम, पता, मोबाइल नम्बर को आवंटी द्वारा प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ/आरडीएसओ को उपलब्ध कराना होगा। इस दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित न कर पाने पर आवंटी को ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे/म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मैंने उपरोक्त नियम, दिशा–निर्देश एवं शर्तों को ठीक तरह से पढ़ और समझ लिया है और घोषणा करता हूँ कि इन सभी नियम, दिशा–निर्देश एवं शर्तों का पूरी तरह से पालन करुंगा। मैं यह भी जानता हूँ कि उपरोक्त नियम, दिशा–निर्देश एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर विधि अनुसार निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मेरे पूरी जमानत राशि/सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।

भवदीय

हस्ताक्षरः
नाम एवं पदनामः
कार्यालय का नामः
आवासीय पताः